समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री कैलाश प्रसाद भगत, पे0-स्व0 सूर्य नारायण भगत, ग्राम-कलासन, थाना-चौसा जिला-मधेपुरा के नाम से एक दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 789 प्राप्त है, जिस पर शस्त्र संख्या-2802 धारित है। इनके पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार भगत, पे0-स्व0 कैलाश प्रसाद भगत, ग्राम-कलासन, थाना-चौसा जिला- मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि पिता- श्री कैलाश प्रसाद भगत की मृत्यु दिनांक 31.08.2015 को हो चुकी है। स्व0 भगत के नाम पर धारित दो नाली बन्दूक को चौसा थाना के मालखाना में जमा करने हेतु अनुमति की अपेक्षा की है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत् श्री सुरेन्द्र कुमार भगत से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में श्री कैलाश प्रसाद भगत, पे0-स्व0 सूर्य नारायण भगत, ग्राम-कलासन, थाना-चौसा जिला- मधेपुरा के मृत्यु उपरान्त इनके नाम से निर्गत एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 789 को **रद्द** किया जाता है तथा उस पर धारित शस्त्र संख्या-2802 को शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत् चौसा थाना के मालखाना में जमा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उन्हें निदेश दिया जाता है कि मृतक अनुज्ञप्तिधारी का मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं चौसा थाना के द्वारा निर्गत पावना रसीद की एक प्रति जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में तुरंत जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

थानाध्यक्ष, चौसा को निदेश दिया जाता है उक्त शस्त्र को अपने मालखाना में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 373/शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक- 28/09/2015

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज/थानाध्यक्ष, चौसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री सुरेन्द्र कुमार भगत, पे0-स्व0 कैलाश प्रसाद भगत, ग्राम-कलासन, थाना-चौसा जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।